राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	दिनेश कुमार बनाम श्यामसुन्दर 160/2020 161/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

17/11/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 03-ए (3) सी.पी.सी. बाबत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही से पहले सुनवाई किये जाने हेतु पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रवाली का अवलोकन किया गया | दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा निर्णय में सर्वप्रथम धारा-5 के बिन्दु को निस्तारण उपरान्त ही गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का तथ्य जाहिर कर प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम एवं अपील के गुणावगुण पर बहस सुने जाने का निवेदन किया | अत: तदनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 03 (ए) 3 सीपीसी निस्तारित किया जाता है | ततपश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दोनों अपील क्रमश:-160/2020 एवं 161/2020 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद अधिनियम एवं अपीलो के गुणावगुण पर सुनी गयी | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/11/2025 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

18/11/2025

आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणात्मक एवं तकासमा का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 466, 467, 468, 474 बन्दोंबस्त साबिक वाके मौजा प्रागपुरा, जिसके हाल खसरा नम्बर 443/0.65, 485/0.79, 486/0.01, 487/0.32, 491/0.20, 493/0.26, 495/0.70 वाके मौजा प्रागपुरा, जिला जयपुर राजस्थान बने है, जिसके खातेदार काश्तकार वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 5 व तरतीबी प्रतिवादी है | उपरोक्त साबिक नम्बर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तत्कालीन खातेदारान से वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगा. 5 व तरतीबी प्रतिवादी के पिता स्व. श्री रामूलाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04/08/1964 एवं 01/02/1967 को खरीद की थी तथा साथ ही दिनांक 27/12/1968 को वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 5 के पति व पिता स्व. घनश्याम के नाम से सयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति से क्रय किया था, जिसका भुगतान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 5 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के पिता व दादा के द्वारा किया था तथा वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में तीनो भाईयो यानि मृतक घनश्याम और वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को बहिस्सा बराबर-बराबर काबिज करवा दिया था, तब से लेकर आज तक यानि 50 वर्ष से अधिक समय से वादीगण व मृत्तक घनश्याम के फुटस्टेप पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 5 व तरतीबी प्रतिवादी बहिस्सा बराबर-बराबर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर आज भी बहिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	दिनेश कुमार बनाम श्यामसुन्दर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/2020 16/2020		

बराबर-बराबर काबिज काश्त है | वादीगण के पिता स्व. श्री रामूलाल बीमार रहने लगे थे तथा वर्ष 1968 में वादीगण का भाई स्व. घनश्याम घर में सबसे बड़ा था तथा राज-काज व अन्य कार्य वही देखा करता था, इस कारण वादीगण के पिता ने साबिक खसरा नम्बर 466, 467, 468, 471 वाके ग्राम प्रागपुरा का कुछ हिस्सा मृत्तक घनश्याम के नाम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय करवा दिया था तथा उसी रोज कह दिया था कि सयुक्त हिन्दू परिवार की आय ये तुम्हारे नाम विक्रय पत्र करवाया है, इस कारण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी व मृत्तक घनश्याम का हिस्सा सम्पूर्ण आराजी में बराबर-बराबर रहेगा | चूँकि सन 1968 में जो साबिक खसरा नम्बर 466, 467, 468, 471 का विक्रय पत्र वादीगण के भाई के हक़ में सयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति से क्रय किया था | उसके अनुरूप वादीगण के भाई घनश्याम के हक़ में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया तथा उसकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 5 के हक़ में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद हो गया तथा जो शेष भूमि वादीगण के पिता स्व. रामूलाल ने अपने नाम से क्रय की थी, उसमे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 5 व तरतीबी प्रतिवादी का नाम दर्ज हो गया, जिसकी जानकारी वादीगण को लोन वास्ते जमाबन्दी लेने पर गत माह हुई | वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि आराजी हाल खसरा नम्बर 443/0.65, 485/0.79, 486/0.01, 487/0.32, 491/0.20, 493/0.26, 495/0.70 वाके मौजा प्रागपुरा, जिला-जयपुर, राजस्थान में वादी संख्या 1 को हिस्सा 1/4, वादी संख्या 2 को हिस्सा1/4, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं आराजी हाल खसरा नम्बर 443/0.65, 485/0.79, 486/0.01, 487/0.32, 491/0.20, 493/0.26 वाके मौजा प्रागपुरा, जिला-जयपुर, राजस्थान का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर बंटवारा किया जाकर तन्हा रूप से काबिज करवाया जाकर अलग से बटा नम्बर डाले जावे तथा इसी कदर नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर तरमीम की जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 5 की और से अधिवक्ता श्री राजाराम रावत ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एवं शेष प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17/02/2020 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी, जिस पर तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	दिनेश कुमार बनाम श्यामसुन्दर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

160/2020
161/2020

न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03/06/2020 पारित की गयी। जिससे व्यथित होकर यह दोनों अपीले क्रमश:-160/2020 एवं 161/2020 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसमे उभयपक्षकारान की मौखिक बहस दोनों अपीले क्रमश:160/2020 एवं 161/2020 मय प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद पर सुनी गयी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण का कथन रहा कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी के पिता स्व. रामूलाल ने पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 04.08.1964 एवं दिनांक 01.02.1966 से तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता स्व. घनश्याम के नाम से संयुक्त हिन्दु परिवार के लिए भूमि कय की थी, जिसका भुगतान भी वादीगण के पिता स्व. रामूलाल ने किया था। वादीगण अपने पिता के जीवन काल से ही वादग्रस्त भूमि पर बराबर-बराबर हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे है। वादपत्र में यह भी कथन रहा कि वर्ष 1968 में वादीगण का भाई घनश्याम घर मे सबसे बडा था। राजकाज व अन्य कार्य वही देखता था, इसी कारण से मृतक घनश्याम के नाम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कय किया था, जो कि संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से विक्रय पत्र करवाया। वादीगण के अभिवचन को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाब दिया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण उभयपक्षो की सुनवाई उपरान्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित की है, प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 17.02.2020 के विरूद्ध लगभग 5 माह पश्चात् अपील प्रस्तुत की है। उक्त 5 माह के विलम्ब के सम्बन्ध मे धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा धमकी दिये जाने का आधार बताया है, जबकि अपीलार्थी को प्रारम्भसे ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की जानकारी रही है, ऐसे में विलम्ब को कन्डोन करवाने में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेज स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 17.02.2020 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होना स्पष्ट है। जहां तक अन्तिम निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.06.2020 के सम्बन्ध में प्राथमिक निर्णय एवं डिकी की अनुपालना में तहसील से प्राप्त कुर्कजात प्रस्ताव का परीक्षण करना है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

दिनेश कुमार बनाम श्यामसुन्दर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	160/2020 161/2020	

कुर्रेजात प्रस्ताव पर अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेन्ट उभयपक्षकारान् के हस्ताक्षर है, जिससे कुर्रजात प्रस्ताव उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तैयार होना स्पष्ट है। अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कुर्रेजात प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष कोई कुर्रेजात प्रस्ताव के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर तहसील से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम निर्णय एवं डिकी जारी की है, जो विधि सम्मत है।

अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 17.02.2020 एवं अन्तिम निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.06.2020 विधि सम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश 160/2020 व 161/2020 मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण विहिन होने से खारिज की जाती है।

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर